Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

<u>प्रथम अपील संख्या 127/2018</u>

नन्दलाल व्यास,
बसन्त विहार, तीसरी 'ए' रोड,
सरदारपुरा, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम
कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 06.12.2018
अपील में निर्णय की दिनांक 15.01.2019

निर्णय

अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 30.10.2018) द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2018 डीन वेटरनरी कॉलेज, बीकानेर को संबोधित कर प्रेषित किया गया जो कि अन्तरित होकर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 30.10.2018 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाएं तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक एफ.(1008)/RAJUVAS/Reg./RTI/2018/266 दिनांक 01.11.2018 के द्वारा तृतीय पक्ष से सूचना के प्रकटन के संबंध में सहमति/असहमति चाही गई। तृतीय पक्ष के द्वारा सूचना के प्रकटन में असहमति जताई। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक एफ.(1008)/RAJUVAS/Reg./RTI/2018/276 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रत्युत्तर भिजवाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

श्री नन्दलाल व्यास, (RTI कार्यकर्त्ता)
बंसत विहार, तीसरी "ए" रोड,
सरदारपुरा, जोधपुर-342003

विषयः-सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंगः-आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2018 विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 30.10.2018

Contd.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से वांछित सूचना के क्रम में बिन्दुवार प्रत्युत्तर/सूचना निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर/सूचना
1.	वेटरनरी कॉलेज बीकानेर से शैक्षणिक संवर्ग से श्री ओमप्रकाश माथुर पुत्र श्री गोपाल दास माथुर वर्ष 1997 से लेकर 2002 के मध्य या इस अवधि के पूर्व या बाद में कभी भी आपके महाविद्याल से सेवानिवृत हुए है उनके सेवानिवृति आदेश एवं पी.पी.ओ. की प्रति उपलब्ध करावें।	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचनाएं तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचनाएं है जो कि धारा 8(i)(J) के प्रावधानों अनुसार बिना व्यापक एवं सद्भाविक जनहित के प्रकट नहीं की जा सकती। ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित पर–व्यक्ति (Third Party) की एकांतता का अनावश्यक अतिक्रमण होगा। आप द्वारा प्रासंगिक प्रार्थना पत्र में कोई व्यापक एवं सद्भाविक जनहित नहीं प्रकट किया गया है। ***रामचन्द्र देशपांडे*** के प्रकरण में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से इसी सिद्धान्त की पुष्टि की जा चुकी है। अतः वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण धारा 8 (i)(J) के प्रावधानों अनुसार अदेय है।इस कारण वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है।

यदि उपरोक्त कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं है तो पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन–334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 30.10.2018) के द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर सूचना देने की प्रार्थना की है। विश्वविद्यालय के पत्रांक एफ.(अ. 127/18)/VCS/RAJUVAS/RTI/2018/295 दिनांक 15.12.2018 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 10.01.2019 नियत की गई होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी नियत तारीख पेशी को अनुपस्थित रहे। अधोहस्ताक्षरकर्ता के भी मुख्यालय से बाहर होने के कारण अपील में आज दिनांक 15.01.2019 को दौरान सुनवाई कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक को पत्रांक 276 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा प्रत्युत्तर भिजवा दिया गया है व अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रत्युत्तर/सूचना प्रदान किया जा चुका है। अतः उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

P/c Attested.

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर